राजस्थान विधान सभा में आयोजित 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन - उद्घाटन समारोह माननीय अध्यक्ष का संबोधन

———

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी के 83वें सम्मेलन में यहां पधारे सभी पीठासीन अधिकारीगण, लोक सभा के माननीय सदस्यगण, राज्य सभा के सदस्यगण, राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, सबका मैं राजस्थान की राजधानी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राजस्थान आध्यात्मिक, भक्ति, शौर्य एवं पराक्रम की धरती है। यहां की जीवंत बहुरंगी विरासत, संस्कृति और 'पधारो म्हारे देश' की संस्कृति का अनुभव आप सब पीठासीन अधिकारियों ने किया होगा।

इस अवसर पर मैं विशेष रूप से भारत के माननीय उप राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जो अपने व्यस्ततम समय में से इस कार्यक्रम में पधारे और उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। यह सौभाग्य है कि उप राष्ट्रपति जी भी राजस्थान से ही हैं और इसी विधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। मैं इस मौके पर राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी का और राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष माननीय डॉ. सी.पी. जोशी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की मेजबानी की और गर्मजोशी से अभिनंदन किया, स्वागत किया। मंच पर विराजे राज्य सभा के उप सभापति एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री हरिवंश जी, राजस्थान के वरिष्ठ नेता और प्रतिपक्ष के नेता माननीय गुलाब चन्द कटारिया जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।

पिछले सम्मेलन के आयोजन के बाद से हमारे कुछ पूर्व सहयोगियों के दु:खद निधन का मैं उल्लेख करता चाहता हूं। श्री धनिक लाल मंडल, पूर्व अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, थिरू सेरापट्टी आर. मुथैया, पूर्व अध्यक्ष, तमिलनाडु विधान सभा, श्री ई. वीरमनी सिंह, पूर्व

अध्यक्ष मणिपुर विधान सभा, श्री मनोज सिंह मंडावी, पूर्व उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष माननीय केशरी नाथ त्रिपाठी जी का भी शोक व्यक्त करते हैं। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे।

एक अवसर हमें इस राजस्थान की राजधानी में मिला है। माननीय डॉ. सी.पी. जोशी जी ने पीठासीन अधिकारियों की चिंता भी व्यक्त की और उनकी वेदना भी व्यक्त की और किस तरीके से भारत का लोकतंत्र सशक्त हो, मजबूत हो, इसके लिए अपने विचार भी व्यक्त किये।

निश्चित रूप से मैं इस मौके पर हमारा जो शिमला का सम्मेलन हुआ था। शिमला में शताब्दी वर्ष का पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ, जिसमें हमने चर्चा की। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में जो कुछ भी निर्णय हुए, फैसले हुए, उन निर्णयों और फैसलों को लेकर हम कहां तक पहुंचे। उसकी व्यापक समीक्षा की गयी, विचार-विमर्श किया गया। हमने पाया कि उस सम्मेलन में से कई निर्णय सफल रूप से कार्यान्वित हुए, जिसका परिणाम रहा कि हम हमारी संसद, हमारी विधान मण्डलों के अन्दर काफी नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव लाये और उसके साथ-साथ आम जनता की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं पूरी हों, उसके लिए भी सतत रूप से इस सम्मेलन के माध्यम से प्रयास किया गया।

अखिल भारत पीठासीन अधिकारी सम्मेलन एक ऐसा मंच है, जिसमें राज्य विधान मण्डल के अध्यक्ष, केन्द्र के विधान मण्डल के स्पीकर बैठकर चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं। अपने अनुभवों को, अपने नवाचारों को साझा करते हैं और एक दिशा तय करते हैं, जिससे कि हमारा विधान मण्डल लगातार सतत रूप से विकसित हो जाये और बदलते परिप्रेक्ष में किस तरह से हमारे विधान मण्डल प्रभावी सिद्ध हों, इसके लिए लगातार चर्चा और संवाद चलते रहते हैं।

यह आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमारा लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। हमारी संसदें, विधान मण्डल प्रभावी हुए हैं, लेकिन हमें फिर चर्चा करना है, मंथन करना है कि दुनिया के अन्दर भारत का लोकतंत्र प्राचीनतम लोकतंत्र है।

लोकतंत्र भारत की परम्पराओं के अन्दर, परिवेश के अन्दर हमेशा रहा है और इसीलिए जब जी-20 का सम्मेलन हो रहा है, उस समय लोकतंत्र भारत की अवधारणा है, विचारधारा है, कार्यशैली है और लोकतंत्र के माध्यम से ही हमने लोगों के जीवन में सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन किये हैं।

इसीलिए 21वीं सदी का जो आकांक्षी भारत है, जो नया भारत उदय हो रहा है, दुनिया भारत की ओर देख रही है। इस समय हमें इस लोकतंत्र के माध्यम से जो कुछ भी परिवर्तन हुआ, उसको प्रभावी रूप से विश्व की संसदों के सामने भी और विश्व के कई देशों की सरकारों के सामने भी रखने का एक पर्याप्त मौका मिलेगा और इसीलिए हमेशा हमने कहा है कि लोकतंत्र की जननी के रूप चाहे लोकतंत्र हमारी विरासत में रहा है और लोकतंत्र परम्पराएं हमारी शुरू से रही हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि जब हम लोकतंत्र की जननी भारत को मानते हैं तो हमारी संसद, विधान मंडल अधिक प्रभावी हो, उत्तरदायी हो और उत्पादकतायुक्त हो, इसलिए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरे। इन सदनों के माध्यम से जनता के अभावों, कठिनाईयों का समाधान करने का एक रास्ता निकाले।

हमारे संविधान निर्माताओं की मंशा भी यही रही थी। इस मंशा के अनुसार देश में कानून बनाने की हमारी जिम्मेदारी है। कानून प्रभावी हो, कानून पर व्यापक चर्चा हो, कानून में जनता की सक्रिय भागीदारी हो ताकि जितनी जनता की सक्रिय भागीदारी कानून बनाने

में होगी उतना ही प्रभावी कानून बनेगा और कानून के माध्यम से हम लोगों के जीवन में अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। इस समय एक और चुनौती हमारे सामने है जिसकी चिंता माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी ने की, माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी की।

हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि 75 वर्ष के लोकतंत्र के परिपक्व होने के बाद भी आज हमें शालीनता, गरिमा की बात करने की आवश्यकता पड़ रही है। किस तरीके से सदन में शालीनता आये, गरिमा आये, 50 वर्ष जब आजादी के हुए तो उस समय भी इसकी चर्चा हुई।

वर्ष 2001 में देश में एक सम्मेलन हुआ जिसमें सारे राज्यों के मुख्य मंत्री, विधान सभा के अध्यक्ष, मुख्य सचेतक, देश के प्रधान मंत्री, सभी प्रतिपक्ष के नेताओं ने एक स्वर से इस बात को कहा कि हमें अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो सदनों के अंदर शालीनता, गरिमा होनी चाहिये। चर्चा, डिबेट का स्तर ऊँचा होना चाहिये और कानून बनाने में लोगों की प्रभावी तरीके से भूमिका होनी चाहिये।

आज भी यह चिंता का विषय है और इस चिंता को दूर करेंगे हमारे जन-प्रतिनिधि। हमारे जन-प्रतिनिधि जितने परिपक्व रूप से शालीनता, गरिमा रखेंगे, संवाद और चर्चा में उच्च कोटि की चर्चा और संवाद करेंगे, कानून बनाते समय व्यापक रूप से उसकी समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन कानून बनाते समय, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि कानून बनाते समय जो समय कम होता जा रहा है, कानून जिस तरीके से जल्दी से पारित हो रहे हैं, ये देश के लिए भी चिंता है और विशेष रूप से हमारे लोकतंत्र के लिए विशेष चिंता का प्रश्न है। इसीलिए 75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा में हम हमारे विधान मंडलों की इमेज को अच्छा बनाएं, इनकी प्रोडक्टिविटी बनाएं, गरिमा को ठीक करें और अनुशासित, सारगर्भित तरीके से चर्चा करके एक प्रभावी लोकतंत्र की भूमिका बनाने का काम करें।

यह बात सही है कि बदलते परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा महत्व है। सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व होने के कारण अधिकतर विधान सभाओं के अंदर लाइव हो रहा है। देश की जनता विधान सभा, लोक सभा, राज्य सभा की कार्यवाहियों को देखती है। उनके मन एवं चिंतन में एक अच्छा प्रभाव पड़े, उनके विचारों में जो हमारी संस्थाएं हैं, उनके प्रति अच्छा प्रभाव पड़े, उनकी गरिमा उनको नजर आए ताकि लोगों का, जनता का और अधिक विश्वास व भरोसा इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति बढे। जन-विश्वास को बढ़ाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। विधान सभाओं के अंदर, लोक सभा के अंदर हमारे जन-प्रतिनिधियों की केपेसिटी बिल्डिंग हो, इसके लिये हर विधान सभा में, लोक सभा में हमने रिसर्च के, इनोवेशन के नये सेंटर खोले हैं। उनको हम पुरानी डिबेट जैसे राजस्थान के अंदर, देश के अंदर की पुरानी चर्चाएं और डिबेट उपलब्ध कराते हैं ताकि एक अच्छी चर्चा व संवाद करे सकें।

माननीय प्रधान मंत्री जी नरेन्द्र मोदी जी ने पिछली बार स्पीकर कांफ्रेंस में एक विजन दिया था - 'वन नेशन - वन लेजिसलेटिव प्लेटफार्म।' इस दिशा के अंदर भारत की संसद और राज्यों के विधान मंडल मिलकर काम कर रहे हैं।

आने वाले समय के अंदर एक प्लेटफार्म पर देश की संसद हो, चाहे राज्य सभा हो, चाहे विधान सभा हो, उनकी कार्यवाही पूरा देश देख पाएगा। जो उनकी पुरानी डिबेट हैं, चर्चाएं हैं, कानून बनाते समय जो चर्चा हुई, उन सबको देख पाएगा ताकि पूरे देश के अंदर एक साथ एक प्लेटफार्म पर जब पूरे लेजिसलेटिव का डाटा (debates, discussions, statements, speeches, etc.) होगा तो निश्चित रूप से चर्चा करते समय, संवाद करते समय ज्यादा जानकारी मिलेगी। इसके लिए भी पीठासीन अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सभी विधान सभाओं ने

अपनी-अपनी डिबेटों को कम्प्यूटराइज किया है। लगता है कि वर्ष 2023 के अंदर इस डिजिटल संसद के प्लेटफार्म को भी देश की जनता को समर्पित कर देंगे।

साथियो, जैसी सबने चिंता व्यक्त की कि संसद और विधान मंडल के अध्यक्ष हमेशा न्याय पालिका का सम्मान करते हैं। उनके अधिकारों का, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। इसके साथ-साथ हमारा यह भी मानना है कि संविधान में जो मर्यादा दी है, उस मर्यादा का पालन न्याय पालिका भी करे। न्याय पालिका से भी यह अपेक्षा की जाती है कि जो उनको संवैधानिक मेंडेट दिया गया है, वह उस मेंडेट का उपयोग करे लेकिन अपनी प्रत्यक्ष शक्तियों के पृथक्करण और संतुलन के सिद्धांतों को बनाने में भी सहयोग करे। यह अपेक्षा हमारे पीठासीन अधिकारियों की है। इसीलिए विधायिका, कार्य पालिका, न्याय पालिका को संविधान ने शक्तियां दी हैं, क्षेत्राधिकार दिया है, उन क्षेत्राधिकारों में रहकर हम किस तरीके से जनता का भरोसा, विश्वास जीत सकते हैं, इसके लिये हमें काम करने की आवश्यकता है।

हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ हमारी विधायी संस्थाओं के अंदर भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जनता का भरोसा व विश्वास और अधिक कायम हो। इसके लिये पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो चर्चाएं होती हैं, वह दीर्घकाल के लिए दिशा देती है।

मुझे आशा है कि दो दिन होने वाले विचार-विमर्श में हमारे पीठासीन अधिकारियों के जो नये दृष्टिकोण आएंगे, नये विचार आएंगे, उनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जिन बिंदुओं को लेकर हमने चर्चा की और जिन विषयों को लेकर चर्चा की है, उससे श्रेष्ठ परिणाम आयेगा।

मुझे उम्मीद है कि हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और जनता ने हमें जो मेंडेट दिया है, लोकतंत्र को सशक्त मजबूत बनाने का, उसको प्रभावी तरीके से कर पायेगे। यहां आये सभी पीठासीन अधिकारियों को मैं पुन: बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे आशा है कि

आपकी सारगर्भित चर्चा से हम निश्चित रूप से एक बेहतर परिणाम देश की जनता को दे पायेंगे।